

कार्यालय :- अध्यक्ष (रददी नीलामी समिति) जिला एवं सेशन न्यायालय, झालावाड

क्रमांक: रेकार्ड/रददी नीलामी/2025/ 13-32

दिनांक 5/01/2026

रददी नीलामी विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायालय झालावाड के केन्द्रीय अभिलेखागार रेकार्ड में वीडिंग शुदा पत्रावलियों की रददी अनुमानित 28 से 29 क्विन्टल, अखबार की रददी अनुमानित 175 से 200...किलोग्राम एवं एक्सरे प्लेटे लगभग 40 से 45 किलोग्राम वजन कम या ज्यादा हो सकता है, की नीलामी न्यायालय परिसर में दिनांक 29/01/2026 को सुबह 10.30 बजे की जावेगी। इच्छुक खरीददार किसी भी कार्य दिवस को आकर रददी कागजात का अवलोकन कर सकते हैं। शर्त इस कार्यालय व जिला न्यायालय की वेबसाईट <http://districtcourts.gov.in./jhalawar> पर देखी जा सकती है।

अतः इच्छुक खरीददार नीलामी दिनांक को स्वयं उपस्थित होकर निम्न शर्तों के अधीन बोली लगा सकते हैं :-

- 1- नीलामी बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता को 1000/- अक्षरे एक हजार रुपये बतौर अर्नेस्ट मनी जमा करवानी होगी।
- 2- नीलामी अधिकारी को बिना कारण बताये नीलामी तिथि स्थगित करने तथा बोली आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार /अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 3- नीलामी की दरें पति क्विन्टल की दर से ली जावेगी।
- 4- जिस बोलीदाता के नाम बोली स्वीकार की जावेगी उसको नीलामी कार्यवाही सम्पन्न हो जाने के बाद सिक्कोरिटी राशि के रूप में 2000/- अक्षरे दो हजार रुपये जमा करवाने होंगे तथा नीलामी कार्यवाही सम्पन्न होने के 05 दिवस के भीतर झालावाड मुख्यालय स्थित रेकार्ड रूम से जैसा है जिस स्थिति में है रददी उठानी होगी।
- 5- खरीददार को कांटे-बांट व तराजू की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी। इलेक्ट्रीक कांटे से तुलवायी की स्थिति में कांटे तक ले जाने व तुलवायी का खर्चा खरीददार को वहन करना होगा। रददी स्थल से निकालने को लेकर उसकी भरवायी, तुलवायी व लदान मजदूरी टेक्स इत्यादी का समस्त खर्च खरीददार को वहन करना होगा।
- 6- माल उठाने से पूर्व क्रेता को रददी की समस्त राशि जमा करवानी होगी अन्यथा स्वीकृति बोली निरस्त कर सिक्कोरिटी/अर्नेस्ट मनी जब्त सरकार कर ली जावेगी। एक्स रे, अखबार की रददी की दर हेतु बोली अलग-अलग लगायी जावेगी।
- 7- माल जिस स्थिति में एवं जहा है उसे पूर्ण रूप से उठाना होगा। किसी प्रकार की छटनी की स्वीकृति नहीं दी जावेगी।
- 8- खरीददार को यह प्रमाण पत्र भी देना होगा कि रददी का प्रयोग लूगदी बनाने में ही किया जावेगा और भराई, लदान व परिवहन के समय रददी को ढककर व बोरो में भरकर पूर्ण सुरक्षित रूप से उसके संग्रहण /संधारण व उपचार स्थल तक ले जायेगा जिससे कि न्यायिक अभिलेखों के अंश इधर-उधर फैलने अथवा बिखरने से बच सके एवं अभिलेखों का किसी प्रकार से गलत उपयोग नहीं किया जावेगा।
- 9- निश्चित समय सीमा के खरीददार द्वारा रददी नहीं उठाने के कारण वर्षा या अन्य किसी कारण से माल खराब हो जाता है अथवा कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं खरीददार की होगी। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का कोई दायित्व नहीं होगा न ही उससे किसी प्रकार की छूट दी जावेगी।
- 10- रददी / एक्सरेशीट की विक्रय राशि पर नियमानुसार कोईकर/टेक्स देय होगा तो उसे जमा कराने का भार बोलीदाता का होगा। टेक्स का भुगतान पृथक से बोलीदाता को रददी उठाने से पूर्व जमा करवाना होगा।
- 11- किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- 12- जिन व्यक्तियों की बोली स्वीकार नहीं होगी उन्हें उनके द्वारा जमा करवाये गये धरोहर राशि नीलामी

समाप्ति के तुरन्त पश्चात लौटा दी जावेगी।

13- उक्त नीलामी दिनांक को हेड रेकार्ड कीपर व समस्त स्टाफ अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

14- प्रत्येक रददी की न्यूनतम दर, नीलामी दर नीलामी के समय तय की जावेगी।

अध्यक्ष (रददी नीलामी समिति),
जिला एवं सेशन न्यायालय झालावाड।

क्रमांक- 13-32

दिनांक 5/.01/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही / प्रचार प्रसार के लिए नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित है :—

- 1- श्री मान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय कोटा/बारा /बून्दी/सवाईमाधोपुर/भीलवाडा ।
- 2- श्री मान जिला कलेक्टर साहब झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि नीलामी की सूचना को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी हेतु ।
- 3- नोटिस बोर्ड नगर परिषद ,झालावाड ।
- ✓ 4- सिस्टम आफिसर जिला न्यायालय झालावाड को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाश जिला न्यायालय झालावाड की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- 5- सहायक नाजीर , जिला एवं सेशन न्यायालय झालावाड ।
- 6- सम्बन्धित व्यक्ति / कबाडी श्री
- 7- केशियर जिला न्यायालय झालावाड / नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय झालावाड ।

अध्यक्ष (रददी नीलामी समिति) ,
जिला एवं सेशन न्यायालय झालावाड ।